358-14-PIJANI4

सेवा में,

358/14

दिनाँक - 16/01/2014

मुख्य सूचना अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
साउथ ब्लाक, रायसिना हिल
7 रेस कोर्स रोड,
नई दिल्ली - 110001

18 JAN 2014
DAK SECTION

विषय - सूचना के अधिकार 2005, के तहत जानकारी हेतु

श्रीमान,

आपसे निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूँ। कृपया जल्दी से जल्दी इन बिन्दुओं पर उत्तर दें। —

US(F)
PMR

1. उत्तराखण्ड में आई भीषण आपदा में राहत कार्यों हेतु सभी स्त्रोतों से प्रधान-मंत्री राहत-कोष में कितनी धन ~~धन~~ राशी आई है। (जिसमें विदेशी सहायता भी शामिल है)
2. अभी तक कितनी धनराशी राज्य सरकार को दे दी गई है।
3. यदि केन्द्र स्तर पर उत्तराखण्ड आपदा के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका विस्तार पूर्वक विवरण दें
4. उत्तराखण्ड ~~आद~~ आपदा से उबरने के लिए सरकार की आगामी नीतियाँ क्या हैं।

नोट - 10रु का पोस्टल आर्डर ~~संलग्न~~ संलग्न है।
IPO No. 13F 831495 of ₹10/-

प्रार्थी

URGENT
RTI ACT
Diary No. 14775
& Date 18/01/14
23/01/14

विरेन्द्र सिंह रावत, समाजसेवी
मकान नं० - 44, गली नं० 26/D
~~मक~~ निकट रबंपुर पेड
मोलड बन्द विस्तार
बदरपुर, नई दिल्ली - 110044

3592991

आ.प्र.-।(आरटीआई)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-।(भाग)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-।

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 05 मार्च, 2014

26 MAR 2014

सेवा में,

श्री बिरेंद्र सिंह रावत
मकान नं.44, गली नं.236/डी
नियर खजूर पेड़, मोलड बंद विस्तार
बदरपुर, नई दिल्ली-110 044

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 18.02.14 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आरटीआई का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 28.02.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि आपके आवेदन के मद सं. 1 एवं 2 का संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय से है एवं 3 व 4 का संबंध उत्तराखंड सरकार से है | अतः आवेदन पत्र को उत्तराखंड सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है| आप उनसे सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं |

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं |

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, 4 सुभाष रोड, देहरादून-248 001 | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है| आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एस. सामंत, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में|

28-03-2014